

**न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-141 / 2008

संस्थित दिनांक-04.03.2008

फाईलिंग क.234503000112008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

किशोरी कोहरे पिता सहसराम कुहरे, उम्र-39 वर्ष,

निवासी-वार्ड नंबर-17, जयहिन्द टॉकिज के पास,

थाना कोतवाली, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-16/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो बार), 338, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-28.12.2007 को 05:10 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत ग्राम बिरवा में बैहर से मलाजखण्ड लोकमार्ग पर बस क्रमांक-एम.पी-50/पी-0954 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहतगण उमेश परते व प्रमोद साहू को टक्कर मारकर उपहति तथा आहत प्रमोद साहू को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की और मृतक राहुल चौहान की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बैहर में पदस्थ रामलाल धुर्वे को दिनांक-28.12.2007 को शासकीय अस्पताल बैहर के चिकित्सक एन.एस. कुमरे ने लिखित तहरीर प्रेषित की, जिसके आधार पर जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि वाहन क्रमांक-एम.पी-50/पी-0954 के चालक किशोरीलाल कोहरे ने बस वाहन को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/बी.ए-5938 को टक्कर मार दी, जिस पर सवार राहुल चौहान की मृत्यु हो गई, एवं प्रमोद साहू एवं उमेश परते को भी चोट आई थी। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-126/2007, धारा-279,

337, 304 ए भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा मृतक राहुल चौहान की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक-72/07 तैयार कर, नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, विवेचना की शेष कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा आहत प्रमोद साहू की चिकित्सीय रिपोर्ट आहत को अस्थि भंग होना पाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो बार), 338, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-28.12.2007 को 05:10 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत ग्राम बिरवा में बैहर से मलाजखण्ड लोकमार्ग पर बस क्रमांक-एम. पी-50/पी-0954 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण उमेश परते व प्रमोद साहू को टक्कर मारकर उपहति की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत प्रमोद साहू को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मृतक राहुल चौहान की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

- 5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी प्रमोद साहू (अ.सा.4) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके कथन से दो-ढाई वर्ष पूर्व शाम 5:00 बजे की है। वह, उमेश तथा राहुल मोटरसाईकिल से बैहर से मलाजखण्ड जा रहे थे, तभी लहराते हुए एक बस आई और एक जानवर को बचाने के लिए बस ने उसे टक्कर मार दी। घटनास्थल में ही राहुल की मृत्यु हो गई थी। उसे सिर में नाक में व चेहरे में चोट आई थी। उसे ईलाज के लिए बैहर एवं बालाघाट लेकर गए थे। दुर्घटना बस के चालक की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल राहुल चला रहा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि बस चालक ने जानवर को बचाने के लिए उसे टक्कर मारी थी। उसने यह बात अपने पुलिस कथन में नहीं बताई थी।
- 7— उमेश (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके कथन से दो-ढाई वर्ष पूर्व शाम के 5-6 बजे की है। वह, प्रमोद एवं राहुल के साथ मोटरसाईकिल से बैहर से मलाजखण्ड जा रहा था तो सामने से तेज गति से आती हुई बस ने गायों के झुण्ड को बचाने के लिए मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उसे नाक में चोट आई थी। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। वाहन चालक कौन था, वह नहीं जानता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि गाय के झुण्ड को बचाने के लिए बस चालक ने उसे टक्कर मारी थी, यह बात वह पहली बार न्यायालय में बता रहा है। साक्षी ने इंकार किया है कि वाहन चालक राहुल मोटरसाईकिल को तेज गति से चला रहा था।
- 8— डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-28.12.2007 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक भाउलाल द्वारा आहत राहुल को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसे उसके द्वारा मृत पाया गया। उसकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिसके अ से अ भाग

पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को उसने आहत प्रमोद का चिकित्सीय परीक्षण किया था और उसने आहत के सिर के मध्य भाग पर, दाहिने ओर चेहरे पर साधारण प्रकृति की चोट पाई थी। साक्षी ने कहा है कि उसने आहत को एक्सरे कराने की सलाह दी थी। आहत को आई चोटे कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी और उसके परीक्षण से 6 घंटे के भीतर की थी। उसे आगे ईलाज हेतु हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक, जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आहत उमेश को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के चेहरे में दाहिनी ओर तथा नाक में चोटें पाई थी। आहत को एक्सरे की सलाह दी गई थी। आहत को आई चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी, जो उसकी जांच से 6 घंटे के भीतर की थी। मरीज को आगे ईलाज हेतु हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं शल्य चिकित्सक जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— भाउलाल पारधी (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-28.12.07 को पुलिस थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक-126/06 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल बिरवा से साक्षियों के समक्ष एक हीरोहोण्डा स्पलेण्डर क्रमांक-एम.पी-50/बी.ए-5938 जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-29.12.2007 को साक्षी कमलसिंह की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-30.12.2007 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष कौशल बस क्रमांक-एम.पी-50/पी-0954 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षियों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। दिनांक-30.12.2007 को बस क्रमांक-एम.पी-50/पी-0954 का मैकेनिकल परीक्षण सैय्यद अजहर से करवाया था। उसी दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही थाना बैहर में बैठकर अपने मन से की थी। साक्षी ने यह

स्वीकार किया कि उसने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल का मैकेनिकल परीक्षण नहीं करवाया था। साक्षी ने कहा है कि उसे आहत उमेश तथा प्रमोद ने अपने कथन में यह नहीं बताया था कि जानवर को बचाने के लिए बस चालक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी।

10— रोहित (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। वह घटना दिनांक को 7:30 बजे जब अपने घर पहुंचा तो उसे लोगों ने बताया कि उसके भाई राहुल की दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना कैसे हुई थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। बाद में लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार से चल रही बस ने जानवरों को बचाने के लिए गाड़ी गलत दिशा में डाल दी थी, जिससे दुर्घटना हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना के विषय में उसे मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया था, वैसी ही बातें न्यायालय के समक्ष बता रहा है। यह साक्षी अनुश्रुत श्रेणी का साक्षी है। अतएव उसके कथनों पर बल दिया जाना उचित नहीं है।

11— संतोष साहू (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उसे फोन पर सूचना मिली थी कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उसे बैहर अस्पताल में जानकारी हुई कि राहुल की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है।

12— पतिराम धुर्वे (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। बिरवा हवाई पट्टी के पास एक बस व एक मोटरसाईकिल की दुर्घटना हुई थी। मोटरसाईकिल पर तीन लोग सवार थे। बस के चालक को उसने नहीं देखा था। उसके समक्ष मोटरसाईकिल जप्त की गई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना स्वयं होते हुए नहीं देखी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल पर तीन लोग बैठे थे और तेज गति से वाहन चल रहा था। रामलाल धुर्वे (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। कमलसिंह धुर्वे (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को नहीं जानता। वह

मोटरसाईकिल से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक मोटरसाईकिल, जिस पर तीन लोग बैठे थे, वह बहुत तेज गति से चल रहा था और आगे जाकर वह कौशल बस से टकरा गया था। बस वाहन धीरे चल रहा था। मोटरसाईकिल वाले की गलती से दुर्घटना हुई थी। वाहन कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किये थे एवं मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना के बाद उसने आहतगण को पानी पिलाया था, तब उनके पास से शराब पीने की गंध आ रही थी।

13— प्रकरण में आरोपी की पहचान को लेकर किसी भी अभियोजन साक्षी ने स्पष्ट कथन नहीं किये हैं। साक्षी प्रमोद साहू (अ.सा.4), उमेश परते (अ.सा.5), संतोष साहू (अ.सा.9), रोहित (अ.सा.8), पतिराम धुर्वे (अ.सा.1), रामलाल धुर्वे (अ.सा.2) तथा कमलसिंह धुर्वे (अ.सा.3) ने कहा है कि वे आरोपी को नहीं जानते। दुर्घटना के विषय में आहत प्रमोद साहू (अ.सा.4) का कहना है कि दुर्घटना के समय सामने से जानवर आ जाने के कारण बस चालक ने वाहन को गलत दिशा में मोड़ दिया, जिससे दुर्घटना हुई। इसी आशय के कथन अभियोजन साक्षी उमेश (अ.सा.5) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है। शेष अभियोजन साक्षियों ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में आरोपी की पहचान को लेकर तथा आरोपी द्वारा स्वयं दुर्घटना दिनांक को बस वाहन क्रमांक—एम.पी-50/पी-0954 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाए जाने के विषय में कोई कथन नहीं किये हैं। दुर्घटना में मृतक राहुल की मृत्यु हुई थी, यह बात चिकित्सक साक्षी डॉ.एन.एस. कुमरे (अ.सा.6) के न्यायालयीन परीक्षण तथा प्रदर्श पी-7 की रिपोर्ट में प्रमाणित हो रही है। इसी प्रकार आहत प्रमोद साहू के विषय में दी गई प्रदर्श पी-4 की चिकित्सीय रिपोर्ट तथा आहत उमेश के विषय में चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 को प्रमाणित किया है, जिससे की दुर्घटना में आहतगण को चोट आना प्रमाणित हो रहा है। विवेचक साक्षी भाउलाल पारधी (अ.सा.7) ने विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है, परंतु उपरोक्त साक्षी के कथन से यह प्रमाणित नहीं है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी स्वयं वाहन को स्वेच्छया उतावलेपन से चला रहा था, जिससे मृतक राहुल की मृत्यु एवं आहत उमेश एवं प्रमोद साहू को उपहति एवं घोर उपहति कारित हुई थी। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि

दुर्घटना दिनांक को मृतक राहुल तथा आहतगण उमेश तथा प्रमोद एक की मोटरसाईकिल में बैठकर जा रहे थे, जब दुर्घटना हुई थी। विधि अनुसार मोटरसाईकिल पर मात्र दो ही सवारी को वाहन पर बैठने की अनुमति होती है और घटना दिनांक को तीन व्यक्तियों के मोटरसाईकिल पर बैठने से वाहन के अनियंत्रित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 भा.द.वि. का अपराध किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

14— उपरोक्त विवेचना में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। इसलिए मृतक राहुल की मृत्यु एवं आहतगण उमेश एवं प्रमोद को आई चोटों के लिए भी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में आरोपी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 एवं 304 ए के अपराध में भी दोषसिद्ध नहीं पाया जाता।

15— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक-28.12.2007 को 05:10 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत ग्राम बिरवा में बैहर से मलाजखण्ड लोकमार्ग पर बस क्रमांक-एम.पी-50/पी-0954 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहतगण उमेश परते व प्रमोद साहू को टक्कर मारकर उपहति तथा आहत प्रमोद साहू को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की और मृतक राहुल चौहान की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, 304 ए के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

16— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक-एम.पी-50/पी-0954 को सुपुर्ददार लोकमान पिता किशोरीलाल कौशल, साकिन वार्ड नंबर 15 बालाघाट, जिला बालाघाट

को एवं मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/बी.ए-5938 सुपुर्ददार संतोष कुमार साहू पिता शिवकुमार साहू निवासी ग्राम चारटोला मलाजखण्ड को सुपुर्दनामा पर प्रदान किये गए है जो अपील अवधि पश्चात् उनके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन न किया जावे।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर,
दिनांक-16.05.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)